



HAMIRPUR POLICE

दि 31.05.2023



"प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारवास एवं ₹12,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई"

आज दिनांक:- 31.05.2023 को F.T.C. - I कोर्ट द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवाँ जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 215/05 धारा 324,325,323 आई.पी.सी. में नामजद अभियुक्त मातादीन पुत्र परीक्षत लोधी नि0 नौरंगा थाना मझगवाँ जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई।

इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 12,000/- (बारह हजार रुपये) के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



**एडीजीसी
महेश चन्द्र द्विवेदी**



**पैरोकार
का0 सर्वज्ञ सिंह**

अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उ0नि0 परभाई लाल, एडीजीसी महेश चन्द्र द्विवेदी व पैरोकार मझगवाँ का0 सर्वज्ञ सिंह का सराहनीय योगदान रहा।